समाहरणालय भागलपुर

(जिला भू–अर्जन कार्यालय)

समाहर्त्ता/अपर समाहर्त्ता–सह–समुचित सरकार

प्रारंभिक अधिसूचना

(अधिनियम 30/2013 की धारा–11(1) के अधीन)

संख्या– LIX-1/18- /भू०अ०, भागलपुर दिनांक ....

चूँकि समाहर्त्ता–सह–समुचित सरकार भागलपुर को यह प्रतीत होता है कि ग्राम–परमानन्दपुर खवास, राजस्व थाना– कोलगंग, थाना सं0– 44, अंचल– कोलगंग (कहलगांव), जिला–भागलपुर में कुल 0.5575 एकड़ यानि 0.2256 हेक्टेयर भूमि सार्वजनिक प्रयोजन यथा परियोजना घोघा–पंजवारा SH-84 के सड़क चौड़ीकरण हेतु अपेक्षित है, इसलिये राज्य एस०आई०ए० ईकाई द्वारा सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन कराया गया और एक प्रतिवेदन सौंपा गया। सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन का सार संक्षेप यथा निम्न है:–

संबंधित परियोजना के लिये उक्त मौजे में कुल 6 (छः) भू–खण्डों को शामिल किया गया है। प्रभावित परिवारों में से अधिकतर परिवार किसान एव खेतिहर मजदूर हैं। घोघा–पंजवारा परियोजना पथ के के निर्माण के लिये अपनी जमीन के अधिग्रहण को लेकर गाँवों के अधिकांश प्रभावित परिवारों में कोई विरोध या आक्रामकता नहीं है। सभी स्वीकार करते हैं कि प्रस्तावित परियोजना से आवागमन संबंधी पहुँच में समग्र सुधार होगा, जीविका के नये अवसर प्राप्त होंगे, कृषि भूमि के कटाव से बचाव, जमीन की दरों में इजाफा होगी। यह परियोजना राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय सर्वागीण विकास के लिये बहुत महत्वपूर्ण है।

इस प्रकार आकलित आँकड़ों के आधार पर परियोजना से ग्रामीणों को जितना नुकसान होने की आशंका है, उसकी तुलना में होने वाला लाभ अधिक होते दिखते हैं। ऐसी स्थिति में संबंधित परियोजना का निर्माण जनहित में उपयोगी प्रतीत होता है। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि गाँव/मौजा–परमानन्दपुर खवास, राजस्व थाना–कोलगंग, थाना नं0–44, अंचल–कहलगांव, जिला–भागलपुर में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिये कमोवेश 0.5575 एकड़ यानि 0.2256 हेक्टेयर मानक माप का भू–खण्ड जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है:–

क्र० सं०	खाता सं०	सर्वे भू–खण्ड संख्या	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन की अधीन क्षेत्र (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्तियों का नाम व पता	सीमा (भू–खण्ड) चौहद्दी			
							उत्तर	दक्षिण	पुरब	पश्चिम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	295	1271 अंश	रैयती	भीठ दो	0.145	डोमन यादव वो बाबूराम यादव पिता जगती यादव वो श्यामलाल यादव वो रंगलाल यादव पिता राम चन्द्र यादव वो मुखी यादव वो ब्रह्मदेव यादव पिता हरि नारायण यादव वो राम छवील यादव पिता	अंश खेसरा नं0 1271 एवं 3403	अर्जनाधीन खेसरा नं0 1272 एवं 1273	अर्जनाधीन खेसरा नं0 1273	सिमाना मौजा शंकरपुर कोदवार थाना नं0 41

						राम सुन्दर यादव निवासी जानीडीह				
2	295	1273	रैयती	मकान मय सहन	0.02	डोमन यादव वो बाबूराम यादव पिता जगती यादव वो श्यामलाल यादव वो रंगलाल यादव पिता राम चन्द्र यादव वो मुखी यादव वो ब्रह्मदेव यादव पिता हरि नारायण यादव वो राम छवील यादव पिता राम सुन्दर यादव निवासी जानीडीह	अर्जनाधीन खेसरा नं0 1271	सिमाना मौजा शंकरपुर कोदवार थाना नं0 41 रेलवे लाईन	अर्जनाधीन खेसरा नं0 1274 एवं सिमाना मौजा शंकरपुर कोदवार थाना नं0 41	अर्जनाधीन खेसरा नं0 1271
3	295	1274 अंश	रैयती	भीठ दो	0.0075	डोमन यादव वो बाबूराम यादव पिता जगती यादव वो श्यामलाल यादव वो रंगलाल यादव पिता राम चन्द्र यादव वो मुखी यादव वो ब्रह्मदेव यादव पिता हरि नारायण यादव वो राम छवील यादव पिता राम सुन्दर यादव निवासी जानीडीह	अंश खेसरा नं0 1274	सिमाना मौजा शंकरपुर कोदवार थाना नं0 41 रेलवे लाईन	अंश खेसरा नं0 1274	अर्जनाधीन खेसरा नं0 1273
4	1036	1272	अनावाद सर्व साधारण	रास्ता	0.11	अनावाद सर्व साधारण	अर्जनाधीन खेसरा नं0 1271	सिमाना मौजा शंकरपुर कोदवार थाना नं0 41	अर्जनाधीन खेसरा नं0 1271	सिमाना मौजा शंकरपुर कोदवार थाना नं0 41
5	1036	2825 अंश	अनावाद सर्व साधारण	रास्ता	0.045	अनावाद सर्व साधारण	सिमाना मौजा शंकरपुर कोदवार थाना नं0 41	अर्जनाधीन खेसरा नं0 2826	अंश खेसरा नं0 2826	अंश खेसरा नं0 2826
6	380	2826	रैयती	धनहर	0.23	नर सिंह प्रसाद यादव वो कमल प्रसाद यादव पिता	अर्जनाधीन खेसरा नं0 2825 अंश	सिमाना मौजा शंकरपुर कोदवारा थाना नं0 41	अंश खेसरा नं0 2826	अंश खेसरा नं0 2826

						रामनन्दन यादव वो राम निहोरा यादव वो लालपति यादव पिता रामगुलाम यादव निवासी जानीडीह				

कुल – 0.5575 एकड़ यानि 0.2256 हेक्टेयर

यह अधिसूचना भू–अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थान में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 30/2013) की धारा 11(1) के उपबंधो के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिये जारी किया जाता है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, भागलपुर के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि 10:30 बजे पूर्वाहन् से 5:00 बजे अपराहन् में किया जा सकेगा। बिहार सरकार/समाहर्त्ता–सह–समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं यथा विनिर्दिष्ट कार्यो के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्टि करने, किसी भूमि के, किसी स्तर को अधिकार में लेने के लिए, अवभूमि खोदने या भू–वेधन–छिद्र करने के लिये सभी अन्य कार्यों के संचालन करने तथा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, भागलपुर और उनके कर्मचारी को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई व्यक्ति समाहर्त्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा क्रय/बिक्रय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण करवाएगा यथा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम उत्पन्न करेगा।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से साठ (60) दिनों के अन्तर्गत भू–अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियाँ हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, भागलपुर के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।

ह०/-
समाहर्त्ता
–सह–
समुचित सरकार
भागलपुर

ज्ञापांक– LIX-1/18-561 /भू–अ0, भागलपुर दिनांक 27/11/19

प्रतिलिपि :– निदेशक, भू–अर्जन, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क, विभाग, बिहार, पटना को अधिसूचना की दो प्रति सी०डी० सहित भेजते हुए अधिसूचना का प्रकाशन दो स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट शाखा, भागलपुर को अधिसूचना की प्रति भेजते हुए जिला गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, भागलपुर को सूचनार्थ एवं जिला भागलपुर के वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

27/11/19
समाहर्त्ता
–सह–
समुचित सरकार
भागलपुर